न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 30/18 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2018/00072

अनवान्

1. श्रीमती सवाबाई पिता उदा पत्नी तुलसीराम डांगी निवासी विजनवास तहसील मावली।
2. श्रीमती केसीबाई पिता उदा पत्नी खुमा डांगी निवासी घासा तहसील मावली।
3. श्री भगवतीलाल माता प्रतापीबाई पिता लालु डांगी निवासी घासा तहसील मावली मृतक के बजाय :–

3/1 श्री महेन्द्र पिता भगवतीलाल डांगी निवासी घासा तहसील मावली।

3/2 मु. धापुबाई पत्नी भगवतीलाल डांगी निवासी घासा तहसील मावली।

3/3 पूजा पिता भगवतीलाल नाबालिग बविलायत माता धापुबाई पत्नी भगवतीलाल डांगी निवासी घासा तहसील मावली।

3/4 श्रीमती प्रीती पिता भगवतीलाल पत्नी मोवन डांगी निवासी आंवलिया का कुंआ घासा तहसील मावली।

4. श्री दुदाराम माता प्रतापीबाई पिता लालु डांगी निवासी आंवलिया का कुआ घासा तहसील मावली।
5. श्री मोहनलाल माता दल्लुबाई पिता गंगाराम डांगी निवासी मजेरा तहसील नाथद्वारा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कुका पिता पेमा डांगी निवासी विजनवास तहसील मावली।
2. श्री रूपलाल पिता पिथा डांगी निवासी विजनवास तहसील मावली।
3. श्री वालीराम पिता पिथा डांगी निवासी विजनवास तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री शांतिलाल चपलोत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 29.01.2026

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा विजनवास तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 1602, 1603, 1651, 1654, 2847, 2943, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952 किता 13 कुल रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1061, 2551, 2559, 2560, 2942, 2944, 2945 किता 7 कुल रकबा 32 बीघा 7 बिस्वा।

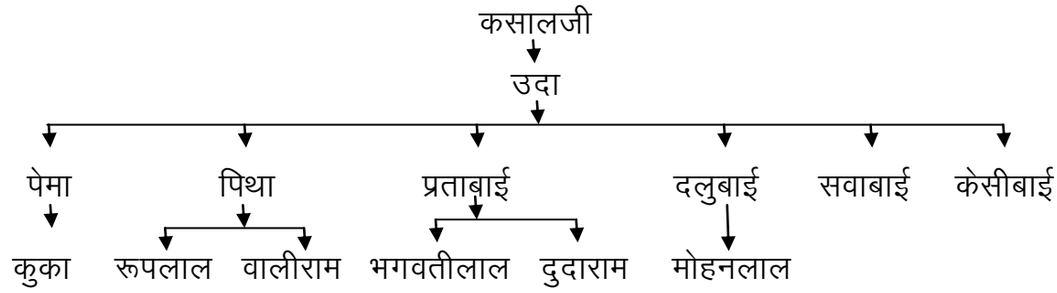

2. यह कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 3 के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है :–

उक्त सजरे में बताये गये कसाल जी उदा, पेमा, पिथा, प्रताबाई, दलुबाई की मृत्यु हो गयी हैं।

3. यह कि उक्त आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 3 की मौरूसी जायदाद है जो मौरूस उदा के समय से चली आ रही है। उदा जी की मृत्यु करीब 30 वर्ष पहले हो गयी है तथा उदा जी के वारिसान पेमा, पिथा, प्रताबाई, दलुबाई, सवाबाई, केसीबाई में बराबर हक हिस्से से निहित हो गई है यानि प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा हैं। पेमा की मृत्यु हो गई है, पेमा का वारिस कुका है जो पेमा के हिस्से पर काबिज चला आ रहा है जो विपक्षी संख्या 1 है, पिथा की भी मृत्यु हो गई है, पिथा के वारिसान में विपक्षी संख्या 2, 3 क्रमशः रूपलाल, वालीराम है जो पिथा के हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रताबाई की भी मृत्यु हो गयी है जिनके वारिसान प्रार्थी संख्या 3, 4 है जो प्रताबाई के हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। दलुबाई की भी मृत्यु हो गयी है जिसका वारिस प्रार्थी संख्या 5 मोहनलाल है, जो दलुबाई के हिस्से पर काबिज चला आ रहा हैं।

4. यह कि इस तरह उक्त आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3, 4 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व विपक्षी संख्या 2, 3 का 1/6 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य अभी तक उक्त आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा नहीं हुआ है व संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे हैं। बिना बंटवारा के किसी को उक्त भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है, न निर्माण कार्य कराने व किस्म परिवर्तन करने का ही अधिकार है। फिर भी उक्त कुका व पिथा व पिथा के वारिसान ने प्रार्थीगण के चुपके–चुपके तथा प्रार्थीगण की बिना स्वीकृति के उक्त परिशिष्ट ख में अंकित आराजीयात को अपनी बताते हुए अन्य को विक्रय कर दी है जो क्रेतागण के नाम दर्ज हो चुकी है जो कुका व पिथा तथा पिथा के वारिसान के हिस्से से भी अधिक है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 से 3 के हिस्से में रखी जाकर वाद की परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात का प्रार्थी संख्या 1 से 5 के हिस्से में रखी जाकर यानि परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात में प्रार्थी नम्बर 1 से 5 के हिस्से में रखी जाकर प्रार्थीगण को खातेदार घोषित कराया जाना आवश्यक हैं।

5. यह कि उक्त आराजीयात की कीमतें बढ गयी है व विपक्षी संख्या 1 से 3 की नियत में फितुर आ गया है इस कारण प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग करने में रूकावट करने लगे है व धमकी दे रहे है कि जमीन हमारे नाम पर है इसलिए अब प्रार्थीगण को इस पर काश्त नहीं करने देंगे जिस पर प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से मिलकर राजस्व रेकार्ड का पता किया तो मालुम हुआ कि खातेदार उदा की मृत्यु के बाद उदा के दोनों पुत्र पेमा व पिथा ने पटवारी हल्का से मिलकर पेमा व पिथा के नाम दर्ज करा ली है व उसके बाद पेमा की मृत्यु हो जाने से कुका ने अपने नाम विरासत का नामान्तरकरण खुलवा लिया और पिथा की मृत्यु बाद पिथा के वारिसान रूपलाल व वालीराम ने अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा स्वीकृत करा लिया है तथा उदा की मृत्यु के बाद पेमा व पिथा द्वारा नामान्तरकरण खुलवाने व स्वीकृत कराने व पेमा व पिथा की मृत्यु बाद उनके वारिसों द्वारा नामान्तरकरण खुलवा स्वीकृत कराने की सवाबाई, केसीबाई, दलुबाई, प्रताबाई व उनके वारिसान को सूचना नहीं दी गयी है व प्रार्थीगण के पीठ पीछे कथित नामान्तरकरण खुलवा स्वीकृत करा लिया है जो हम प्रार्थीगण के विरूद्व बेअसर व शून्य है व उक्त नामान्तरकरण से पेमा व पिथा को तथा उनके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 3 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। पेमा का उक्त आराजी में 1/6 हिस्सा ही है व पिथा का भी 1/6 हिस्सा ही है फिर भी उन्होने सम्पूर्ण आराजी पेमा व पिथा के नाम 1/2, 1/2 हिस्से से दर्ज करा ली है जो गलत है तथा इस इन्द्राज की जानकारी प्रार्थीगण को अभी हाल ही में तारीख 15.12.2017 को जबकि प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का के पास जाकर पता किया व पटवारी द्वारा उक्त इन्द्राज होना बताया जिस पर हम प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की पूर्ण जानकारी कर नकलें प्राप्त की तो हुई उसके पहले इसकी जानकारी नहीं होने दी।

6. यह कि उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने विपक्षी नम्बर 1 से 3 को प्रार्थीगण का हिस्सा प्रार्थीगण के नाम दर्ज कराने व बंटवारा करा अलग–अलग कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षी नम्बर 1 से 3 ऐसा करने को राजी नहीं हुआ व प्रार्थीगण को धमकी दी कि जमीन हमारे खाते है हम बंटवारा नहीं करेंगे, न प्रार्थीगण के नाम दर्ज करायेंगे, ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अपने हक व हिस्से की घोषणा कराने व विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई [illegible] जारी करा पाबंद कराना आवश्यक हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

गया है वरना विपक्षी संख्या 1 से 3 गलत इन्द्राज के आधार पर अपनी बताकर विक्रय हस्तान्तरण कर देंगे व खुर्द बुर्द कर देंगे व हम प्रार्थीगण को उक्त आराजी के हिस्से अनुसार उपयोग–उपभोग करने से रोक कर देंगे जिससे हम प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह नहीं की जा सकेगी। अन्त में निवेदन किया कि दावे के निर्णय तक विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वे प्रार्थीगण को वाद के परिशिष्ट क में अंकित आराजी के संयुक्त उपयोग–उपभोग करने से नहीं रोकें, न प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप करे, न उक्त आराजी अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करें, न भूमि की शकल में परिवर्तन करें, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2, 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 3 के खानदान का सजरा निम्नानुसार है :–

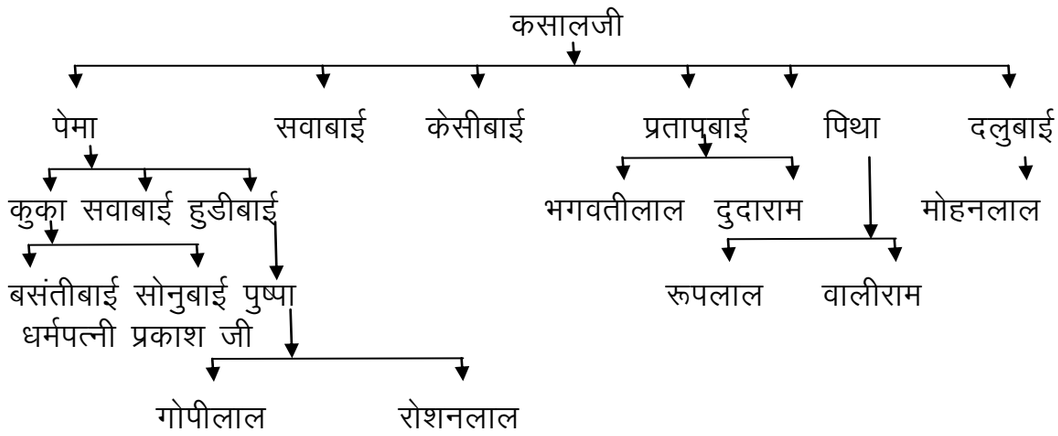

प्रार्थीगण ने सजरा परिवार का बताया है वह गलत है सजरा उपरोक्तानुसार हैं। स्व. कसाल जी जो प्रतिप्रार्थी संख्या 1 के दादा जी थे उनकी मृत्यु हो गई हैं व पेमा जी, पीथा जी व प्रतापीबाई, दलुबाई की मृत्यु हो गई हैं।

8. यह कि उक्त आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षीगण 1 से 3 की मौरूसी जायदाद है, यह जायदाद कसाल जी की थी व उदा के समय से चली आ रही हैं। उदाजी की मृत्यु को करीब 31 वर्ष हो गये हैं। उदाजी के वारिसान प्रताबी बाई, दल्लुबाई, सवाबाई, केशीबाई का बराबर का हिस्सा नहीं हैं। कुका जी ने अपने जीते जी अपनी लडकियों दल्लुबाई, सवाबाई, केशीबाई, प्रताबी बाई का हिस्सा पहले ही दे दिया व उस समय हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागु नहीं था। उक्त आराजीयात पर अभी खेती पेमा जी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र कुका जी विपक्षी संख्या 1 ही कर रहे हैं। उपरोक्त वर्णित श्रीमती सवाबाई की शादी थुर में कराई उस समय से वे वहीं रह रही थी उनके पूर्व पति घासा में थे उनको छोडकर दूसरा नातें जाने से वह दूसरी जगह फेनियों का गुडा में रहने और अब विजनवास में आकर रहने लग गई। पिथा जी की मृत्यु हो गई है, पिथा के वारिसान विपक्षी संख्या 2, 3 क्रमशः रूपलाल व वालीराम है, जो अपने पिता के हिस्से पर कायम है व काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 कुका जी के दादाजी ने अपने लडकों व लडकियों को अपनी क्षमता अनुसार शादी करवाई व जर जेवर अपनी इच्छानुसार दे दिये। पुत्रीयों को बहुत अधिक दहेज दिया व उसके लडके लडकियों की शादी में भारी मात्रा में दहेज दिया था।

9. यह कि लडकियों को विपक्षी संख्या 1 के दादाजी ने बहुत कुछ माल दिया जो उसकी लडकियों के हिस्से में बहुत कुछ आया। विपक्षी कुका जी के दादाजी ने सब लडकों को जमीनें भी अपने अपने हिस्सेनुसार बांट दी थी प्रार्थी को उसने यह नहीं बताया कि विपक्षी संख्या 1 ने अपनी बताते हुए परिशिष्ट ख खण्ड में किसको विक्रय कर दी यह स्पष्ट नहीं किया हैं। विपक्षी संख्या 1 की नियत साफ है वह अपनी जमीन पर काश्त कर रहे है प्रार्थी के पक्ष में सम्पूर्ण रूप से असत्य होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण विपक्षीगण से मिले ही नहीं, ना ही उन्होने कोई धमकीयां दी। प्रार्थीया की जहां शादी करवाई उसकी सारी जायदाद फेनियों का गुडा में उसके पास है जहां नाते चली गई उस पर जायदाद पर कब्जा जमा लिया हैं। प्रार्थीगण विपक्षीगण के खिलाफ कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकते है। विपक्षी संख्या 1 की जायदाद जो उनके पास है न तो बेचने का इरादा है। प्रार्थीगण का सारा कथन मनगढन्त व मिथ्या है। प्रार्थीगण को कोई अधिकार विपक्षीगण की भूमि में नहीं है। विपक्षीगण के कब्जे स्वामित्व की जमीन है, उस पर वों काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के स्वामित्व कब्जे व खातेदारी में दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। न तो प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त है न प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 1 ने धमकाया ही, प्रार्थीगण सीधा–साधा व्यक्ति है विपक्षी बहुत ही चालाक है, कई जगह की जमीने हडपने के पश्चात् प्रार्थी संख्या 1 की जमीन हडपने के लिए लोगों से धमकीयां दिला रही है व प्रतिप्रार्थीगण की हत्या करवाने के लिए भी विपक्षीगण लोगों को उकसा रही हैं। प्रार्थीगण अपनी जमीन छोडकर, गांव छोडकर चले जावे, इस प्रकार का षड्यन्त्र कर रहे हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी/वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत किया है जिस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर सव्यय निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा बताये गये सजरे अनुसार मूल पुरूष कसाल जी थे जिनके पुत्र उदा हुए। उदा के वारिस प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि उदा पिता कुसाल डांगी के नाम दर्ज होना प्रतीत होता हैं। इसी जमाबन्दी पर अंकित विरासत के नोट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 388 दिनांक 21.06.88 से वादग्रस्त भूमि उदा के बजाय उनके पुत्र पिथा एवं पौत्र कुका के नाम दर्ज की गई जबकि प्रार्थीगण द्वारा बताये गये सजरे अनुसार उदा के दो पुत्र पेमा एवं पिथा थें तथा चार पुत्रीयां प्रताबाई, दलुबाई, सलुबाई, केसीबाई थी परन्तु जमाबन्दी पर अंकित विरासत के नोट अनुसार प्रथम दृष्टया पुत्रीयो का नाम दर्ज होना प्रतीत नहीं होता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के मौरूस उदा की होना प्रतीत होती हैं। विपक्षीगण के नाम भूमि दर्ज होने से विपक्षीगण द्वारा कुछ भूमि का विक्रय कर दिया गया। प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात ही विपक्षीगण के नाम शेष रही हैं। यदि विपक्षीगण द्वारा परिशिष्ट क में वर्णित भूमि का भी विक्रय कर दिया जाता है तो ऐसे में प्रार्थीगण को अपनी मौरूसी भूमि में अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि के परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात विपक्षीगण के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा चाही गई है। प्रार्थीगण की पैतृक भूमि होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण उक्त भूमि को अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित, विक्रय या खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना पड़ेगा व प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा चाही गई है इसलिए यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

12. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 की खाता संख्या 436 पर दर्ज आराजी नम्बर 1602, 1603, 1651, 1654, 2847, 2943, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952 किता 13 कुल रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के मौरूस कसाल जी थे जिनके पुत्र उदा हुए। उदा के वारिस प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण हैं। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी पर अंकित विरासत के नोट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 388 दिनांक 21.06.88 से वादग्रस्त भूमि उदा के बजाय उनके पुत्र पिथा एवं पौत्र कुका के नाम दर्ज की गई जबकि प्रार्थीगण द्वारा बताये गये सजरे अनुसार उदा के दो पुत्र पेमा एवं पिथा थें तथा चार पुत्रीयां प्रताबाई, दलुबाई, सलुबाई, केसीबाई थी परन्तु जमाबन्दी पर अंकित विरासत के नोट अनुसार प्रथम दृष्टया पुत्रीयो का नाम दर्ज होना प्रतीत नहीं होता हैं।

प्रकरण में मूल बिन्दू प्रार्थीगण के पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा सम्बन्धी हैं। यदि पैतृक भूमि होने का तथ्य साबित होता है तो प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है इसलिए यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा वे को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

परन्तु पैतृक भूमि के तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 27.03.2018 से विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 से 3 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 मूल वाद के निस्तारण तक मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 की खाता संख्या 436 पर दर्ज आराजी नम्बर 1602, 1603, 1651, 1654, 2847, 2943, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952 किता 13 कुल रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested